

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजनास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. प्रेम बंद पुत्र गोमा राम जाति गुर्जर निवासी खडगबीजपुर तहसील नीमकाथाना, सीकर राज।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 778 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कर्तई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम खडगबीजपुर तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 32 में वादी का गतत दर्ज नाम "पेमारास/प्रेमारास पुत्र गोविन्दा" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम " प्रेम चन्द पुत्र गोमारास" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज..... मुक्तिग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..... फीसदी सालना आज को तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत 
ओहदा.....

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नाम			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुत्तफरिक		
मुत्तफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. प्रेम चंद पुत्र गोमा राम जाति गुर्जर निवासी खडगबीजपुर तहसील
नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 798/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1531

आदेश

दिनांक - 3/12/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात
तन ग्राम खडगबीजपुर तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 32 में वादी का गलत दर्ज
नाम "पेमाराम/प्रेमाराम पुत्र गोविन्दा" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम " प्रेम चन्द
पुत्र गोमाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार
नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा
तदनुसार पर्चा डिफ्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



(Signature)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)